पर त्रिपक्षीय विचार-विमर्श और भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमयों द्वारा उत्पन्न सामान्य नीतिगत दृष्टिकोण के अनुसार जब कभी आवश्यक हो संशोधित किए जाते हैं।

बीड़ी कर्मकारों के लिये आवास योजना

1861. **मौलाना अबैदुल्लाखान आजमी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: कि :

(क) क्या यह सच है कि बीड़ी कर्मकारों के लिए आवास योजना पूर्ण रूप से सफल रही है और इसमें अब तक अत्यधिक प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस योजना के लिए बीड़ी कर्मकारों को पर्याप्त मात्रा में धन-राशि उपलब्ध कराई गई है ;

(ग) क्या बीड़ी कर्मकारों के लिए अब तक बन कर तैयार हो चुके आवासों की संख्या लाखों में हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) बीड़ी श्रमिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवासीय योजना के प्रति आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में बहुत अच्छी अनुक्रिया रही है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में यह थोड़ा कम रही है। अपना घर स्वयं बनाओ योजना के प्रति केरल राज्य में बहुत अच्छी अनुक्रिया रही है।

(ख) जी, हां। बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि के अतर्गत बीड़ी श्रमिकों संबंधी विभिन्न आवासीय योजनाओं को सर्वाधिक प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है।

(ग) और (घ) बीड़ी श्रमिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवासीय योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मित किए गए आवास-गृहों की संख्या निम्नानुसार है :—

1991–92	461
1992–93	4857
1993–94	4659

अपना घर स्वयं बनाओ योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान मंजूर किए गए आवास-गृहों की संख्या निम्नानुसार है :—

1991–92	576
1992–93	583
1993–94	1186

बीड़ी कर्मकारों के लिये भविष्य निधि योजना

1862. **मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीड़ी कर्मकारों के लिए शुरू की गई भविष्य निधि योजना सफल रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सभी बीड़ी कर्मकारों को इस योजना के अन्तर्गत लाया जा चुका है ;

(ग) क्या बीड़ी उद्योग के मालिक अपना पूरा अंशदान जमा करा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 12.22 लाख बीड़ी श्रमिकों की पहचान की गई है और उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत लाया गया है। क.भ.नि. संगठन पहले ही, अधिनियम के